न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)
अपील संख्याः—30/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/30)

1. भंवरसिंह दत्तक पुत्र अभय सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डुमाडा तहसील, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती केसर देवी पत्नी उगमचंद जाति गुर्जर, निवासी ग्राम डुमाडा तहसील जिला अजमेर।
2. रघुवीर सिंह पुत्र श्री सुगन सिंह, जाति राजपूत निवासी ग्राम डुमाडा तहसील जिला अजमेर।
3- राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 6.12.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर, राजस्व वाद संख्या 3/2018

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मदन लाल गुर्जर, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री लवप्रताप सिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 3

निर्णय

दिनांकः—30.9.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 3/2018 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 06.12.2021 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी अजमेर, के समक्ष विरूद्ध अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1375 रकबा 0.83 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1376 रकबा 1.05 हैक्टर स्थित है जिस बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 के लगती हुई अपीलांट की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है तथा रेस्पोडेंट अपनी उक्त खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात से अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात खसरा नम्बर 1377 एवं 1341 से आने जाने हेतु उक्त रास्ते का उपयोग कर रही है किंतु रिकार्ड में खसरा संख्या 1341 से आगे रास्ता दर्ज नहीं है जिसे दर्ज किया जाकर खसरा संख्या 1377

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

की मेड के सहारे–सहारे रास्ता दर्ज किया जावे। उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए जाने के आदेश प्रदान किए तत्पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी प्रस्तुत कर वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 2 को पक्षकार मुर्तिब किए जाने का निवेदन किया जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 2 को उक्त प्रकरण में बतौर पक्षकार के रूप में मुर्तिब किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोर्ट कैम्प डुमाडा में उक्त पत्रावली सुनवाई हेतु नियत की जाकर अविधिक रूप से रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 6.12.2021 के द्वारा अविधिक रूप से स्वीकार किए जाने का अविधिक आदेश प्रदान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 06.12.2021 सें असंतुष्ट होकर अपीलांट ने उक्त अपील प्रस्तुत की हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत उक्त धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए जाने का आदेश प्रदान किया गया था जिस पर अप्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो गए थे तथा पत्रावली जवाब हेतु नियत थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली जवाब हेतु नियत होने के बावजूद उक्त पत्रावली को कोर्ट कैम्प डुमाडा में नियत कर बिना अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए केवल मात्र नम्बर बढाने के उद्येश्य से सरसरी तौर पर उक्त आदेश दिनांक 6.12.2021 पारित कर दिया। विवादित आराजीयात बाबत वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में से खसरा नम्बर 1341 एवं 1377 बाबत रास्ता चाहा गया था जबकि वर्तमान खसरा संख्या 1341 जिसमें कि रास्ता दर्ज है वह अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 की निजी खातेदारी/काश्तकारी आराजीयात है तथा उक्त आराजी किसी भी प्रकार से सिवायचक आराजी नहीं थी और ना ही उक्त आराजीयात पर वर्तमान में किसी प्रकार का मौके पर रास्ता चला आ रहा है इसके बावजूद उक्त समस्त तथ्यों को नजर अंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश दिनांक 6.12.2021 पारित कर दिया। रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र बाबत दिनांक 14.02.2019 को संबंधित अधिकारी द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई थी जिस मौका रिपोर्ट पर संबंधित किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए तथा उक्त मौका रिपोर्ट रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा मिलीभगत कर अपने पक्ष में बनवा ली गई इस प्रकार से उक्त एकपक्षीय मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश बिना अपीलांट को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए दिनांक 6.12.2021 को प्रदान कर दिया जो निरस्त योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2021 को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर में रेस्पोडेंट की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1375 रकबा 0.8300 हैक्टर किस्म बारानी 1 एवं खसरा नम्बर 1376 रकबा 1.0500 हैक्टर स्थित है जिसकी रेस्पोडेंट खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिज काश्त चली आ रही है। रेस्पोडेंट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1375 व 1376 से लगती हुई प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1373 ग्राम डूमाडा तहसील व जिला अजमेर में स्थित है। रेस्पोडेंट की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1375 रकबा 0.8300 हैक्टर किस्म बारानी 1 एवं खसरा नम्बर 1376 रकबा 1.0500 हैक्टर पर आने जाने के लिए रेस्पोडेंट खसरा नम्बर 1341 रिकार्डेड रास्ते से होकर रेस्पोडेंट प्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 1377 की मेड के सहारे सहारे अपनी खातेदारी की उपरोक्त आराजीयात पर आती जाती है और उपरोक्त अनुसार रेस्पोडेंट अपनी अपनी खातेदारी की आराजी को काश्त के लिए ट्रेक्टर, ट्रोली, हल बैल आदि ले जाकर अपने खेतों को काश्त करती आ रही है किन्तु रिकार्डेड रास्ता खसरा नम्बर 1341 से आगे नहीं है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता रेस्पोडेंट की खातेदारी में जाने के लिए नहीं होने के कारण रेस्पोडेंट अपनी खातेदारी की आराजी पर रिकार्डेड रास्ता खसरा नमबर 1341 में से होकर प्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नम्बर 1377 की मेड के सहारे सहारे होकर अपनी आराजी में आती जाती रही है किंतु प्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1377 से रेस्पोडेंट के खातेदारी की आराजी में जाने के लिए रिकार्डेड रास्ता नहीं होने से प्रार्थी संख्या 1 रेस्पोडेंट को उसकी आराजी को काश्त करने के लिए जाने वाले रास्ते को रोकता है और आने जाने मे व्यवधान उत्पन्न करता है व रेस्पोडेंट को फसल बुवाई एवं कटाई मे समय काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। रेस्पोडेंट को अपनी खातेंदारी की आराजी खसरा नम्बर 1375 व 1376 को काश्त करने के लिए ट्रेक्टर, ट्रोली इत्यादि ले जाने एवं आने जाने के लिए प्रार्थी के खसरा नम्बर 1377 की मेड के सहारे सहारे ट्रेक्टर, ट्रोली आने जाने जितना रास्ता स्वीकृत किया जाकर उसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड में किया जाना न्यायोचित है जिसके लिए रेस्पोडेंट डी.एल.सी की दर से भुगतान करने के लिए तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, उनकी ओर से श्री मृणाल शर्मा एड़वोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी प्रस्तुत कर वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 2 को पक्षकार मुर्तिब किए जाने का निवेदन किया जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में बतौर पक्षकार नियुक्त किया गया। तत्पश्चात विवादित आराजी बावत् भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया द्वारा चाहे गये खसरा नम्बरान के अलावा आस–पास की भूमि पर कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता नही है तथा रास्ते की अत्यणिक आवश्यकता है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही था। उक्त मौका रिपोर्ट व पक्षकारा को जवाब व बहस सुनने के पश्चात विधिवत् आदेश पारित किये है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। : अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित निर्णय

दिनांक 06.12.2021 विधि सम्मत है अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त फरमाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र बाबत संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 13.2.2019 का उल्लंघन किया गया जिसमे प्रार्थीया के खसरा नम्बर 1376 में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 1377, 1341 बावत् रास्ते संबंधि उल्लेख किया गया है तथा उक्त मौका रिपोर्ट बिना पक्षकारो की मौजूदगी मे तैयार की गई हैं, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सरकारी नियम 69 की पालना किये बगैर बनायी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 को समुचित जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश दिनांक 06.12.2021 कोर्ट कैम्प में पारित किया गया, जो खसरा नम्बर 1341 के सभी खातेदारो को पक्षकार सुर्तिब किये बिना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो एवं कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2021 को निरस्त किया जाकर, प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दोनों पक्षों कि उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सरकारी नियम 69 की पालना करते हुए तलब किया जाकर वर्तमान जमाबंदी में दर्ज सभी खातेदारो को पक्षकार संयोजित कर, उभयपक्षकारान पक्षकारों को जवाब/सुनवाई समुचित अवसर प्रदान पुनः निर्णय पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 3/2018 में पारित आदेश दिनांक 06.12.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दोनों पक्षों कि उपस्थिति में पुनः मौका रिपोर्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के सरकारी नियम 69 की पालना करते हुए तलब किया जाकर वर्तमान जमाबंदी में दर्ज सभी खातेदारो को पक्षकार संयोजित कर, उभयपक्षकारान पक्षकारों को जवाब/सुनवाई समुचित अवसर प्रदान पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.10.2022 को उपस्थिति होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर